



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 01 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 10, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1104/79-वि०-1-10-(क)30-2009

लखनऊ, 01 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है -

जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा प्रारित हुआ]

श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निर्मल्लिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

✓ 1-यह अधिनियम जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

- (क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है;
- (ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;
- (ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;
- (घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;
- (ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
- (च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;
- (छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;
- (ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से है;
- (झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;
- (ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;
- (ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जिसे इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो-या उसके संघटक हो;
- (ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (ण) "समिति" का तात्पर्य दिनांक 30.09.1997 को स्थापित और दिनांक 30.09.1997 को उपनिबंधक कार्यालय में सोसाइटी फण्ड्स एण्ड चिट्स, आगरा में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज, चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति से है;
- (त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से हैं;
- (थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;
- (द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;
- (ध) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;



(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

✓ 3-(1) मथुरा उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

✓ 4-समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिए निश्चित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कास्पेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर कार्यालय और प्रयोगशालाओं की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

✓ 5-(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

✓ 6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :- विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

✓ 7- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :- विश्वविद्यालय की शक्तियां